राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांकः– प.6(179) परि/कर/मु./2023–24/02651 जयपुर

कार्यालय आदेश संख्या – 04/2025

राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा 148 दिनांक 19.02.2025 के अनुसार अन्य राज्यों से राज्य में पुनः पंजीयन हेतु आने वाले वाहनों की कर गणना के कार्य को वाहन पोर्टल पर स्वतः किया जाना है।

ऐसे वाहनों की कर गणना राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951 के नियम 2(1)(n) के आलोक में नियम 42(b) के अन्तर्गत की जाती है।

राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951 के नियम 42(b) के अनुसार–

"42. Cost for the purpose of computation of tax.- Cost of vehicle/chassis shall be,

(b) in case of old/used vehicle/chassis, cost shall be equal to be cost assessed at current price of similar type of new vehicle:

Provided that in case of vehicle purchased or registered outside the state or military disposal vehicles, cost shall be as applicable on the date on which the tax is due for the similar type of vehicle of this State."

राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951 के नियम 2(1)(n) में दिनांक 19.02.2025 में संशोधन कर **समान प्रकार के यान (similar type of vehicle)** की परिभाषा को निम्नानुसार निर्धारित किया गया है –

"2. Definitions.- (1) In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:-

(n) "Similar type of vehicle" means transport and non-transport vehicles paying One Time Tax having the same or nearest,-
(a) seating capacity;
(b) engine capacity;
(c) fuel used;
(d) gross vehicle weight; and
(e) wheel base.
As far as possible, similarities shall be drawn from the vehicle/chassis of the same manufacturer."

Signature valid
Digitally signed by Jagdish Prasad Bairwa
Designation : Joint Transport Commissioner
Date: 2025.07.01 13:58:35 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 16184112

अतः समस्त कराधान अधिकारीयों/जिला परिवहन अधिकारीयों को निर्देशित किया जाता है कि अन्य राज्यों से राज्य में पुनः पंजीयन के लिये आने वाले वाहनों की कीमत निर्धारित करते समय यदि वाहन वर्तमान में भी मूल निर्माता द्वारा विक्रय किया जा रहा हो तो उस वाहन की वर्तमान कीमत वाहन पोर्टल पर दर्ज की जावें तथा यदि वाहन का वर्तमान में मूल विक्रेता द्वारा बेचान बन्द कर दिया गया हो एवं उसकी वर्तमान कीमत उपलब्ध ना हो तो राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951 के नियम 2(1)(n) की पालना करते हुए समान प्रकार के वर्तमान में उपलब्ध वाहन का निर्धारण कर उसकी वर्तमान कीमत को वाहन पोर्टल पर दर्ज किया जावें। इसके पश्चात वाहन पर देय कर की गणना वाहन पोर्टल के माध्यम से स्वतः की जायेगी तथा आवेदक द्वारा ऑनलाईन कर जमा किया जा सकेगा।

एन.आई.सी. द्वारा वाहन पोर्टल पर इस हेतु किये गये प्रावधानों में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर उसकी जानकारी तत्काल मुख्यालय स्थित कर शाखा को ई–मेल आई.डी. transport.tax@rajasthan.gov.in पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(जगदीश प्रसाद बैरवा)
संयुक्त परिवहन आयुक्त (कर)

क्रमांकः– प.6(179) परि/कर/मु./2023–24/02651 जयपुर

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप–मुख्यमंत्री, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक, आई टी शाखा को एन.आई.सी. से समन्वय करने हेतु।
5. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन आई सी को वाहन पोर्टल में आवश्यक प्रावधान करवाने हेतु।
6. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।

संयुक्त परिवहन आयुक्त (कर)

Signature valid

Digitally signed by Jagdish Prasad Bairwa
Designation : Joint Transport Commissioner
Date: 2025.07.01 13:58:35 IST
Reason: Approved